




SECTION A-B
 5825/1A
 219/2000
 महुजा पत्र नं. 5825/1A को. ति.
 दिनांक 219/2000
 हे प्रमाणित के जागी है।



ELEVATION



F.F. PLAN



STATION ROAD

SITE PLAN

EX. 4 PRO HOUSE PLAN	SCALE 1/100	D.R.G. NO 22774/E
A7 PLOT NO 114 RALWA	OWNER'S SIGN	Lucky Costan
STATION ROAD, DEWAS	Shila Carpenter	
BELONGING TO:-		
SAT SHILA	PROT AREA 127.62 m ²	A. Bhat
W/O PURSHOTTAM	EX. G.F. B.A.R. 42.9 m ²	Pramod Bhatti
CARPENTER	P.P. B.A.R. 42.9 m ²	201, Mal Abadi, DEWAS
	TOTAL B.A.R.	11-11-11/66
	85.8 m ²	

कार्यालय नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 527x3^3/2000/ लो.नि.वि./2000

अनुज्ञा क्रमांक 3825/1^

दिनांक 2/9/2000



नाम श्रीमति शीला कान्हो पुरुषोत्तम देवास,

देवास।

विषय प्लॉट नं. 124 पैको रेल्वेस्टेशनरोड स्थित पर मानचित्र अनुसार निर्माण कार्य

बाबत।

उक्त विषय में आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.7.2000 का प्राप्त

उत्तर पर से श्री अशुक्त महोदय के आवेदन दिनांक 30.8.2000 के अनुसार

आपके आवेदन में मानचित्र अनुसार आपकी साइटने से 5.40 मीटर साईड से 12.90 मीटर चौड़ाई से 12.00 मीटर का प्लॉट नं. 124 को दो स्टोर फ्लोर फ्लोटर के आवासीय निर्माण कार्य को अनुमति दानमें स्वयंकी भूमि पर दो भागों में बूझ कर दो भागों पर प्रमाण को जाती है। निर्माण कार्य स्वयंकी मानचित्र अनुसार होकरे।

निर्माण कार्य प्रारम्भ, स्लेब एवं निर्माण समाप्तको सूचना से समय समय पर निर्माण को बताना चाहेंगे। निर्माण कार्यकी अनुज्ञा एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

नल होनेकी दशा में रु. 125/- जल्कर के रूप में निर्माण समाप्त कर प्रतिमाह जमा कराने होंगे। निर्माण कार्य स्वयंकी भूमि पर होकरे।

दस्तावेजों में अस्वास्थ्य संबंधी विवाद उत्पन्न होनेकी दशा में दोषी अनुज्ञा स्थित: निरस्त समझी जावेगी।

आपकी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के समस्त शर्तों एवं उपबंधों का पालन करे।

दस्तावेजों में अस्वास्थ्य संबंधी विवाद उत्पन्न होनेकी दशा में दोषी अनुज्ञा स्थित: निरस्त समझी जावेगी।

पिछे अंकित नोटका पालन करे।

संलग्न नः- मानचित्र-1 एवं दस्तावेज

प्रमुख
180/180/-

अशुक्त
नगर पालिक निगम,
देवास (म.प्र.)
अविरत